


अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


सदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० ३१ / १७-२०

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एव कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/5/18	<p>झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। लाभ के काम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>कोलाकुल्ला</u> मौजा न०- <u>12</u> खाता न० <u>142</u></p> <p>प्लॉट न० <u>63</u> रकबा <u>2 क्यूड</u> की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या <u>16</u> के पृष्ठ संख्या <u>3080</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्री जयप्रकाश राय, पिता-मनमोहन राय</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार क आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार प/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य की क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>11.5.18</u> को रखे।</p>	<p>अभियुक्ति</p> <p style="text-align: right;">  <u>23-3-18</u> धनबाद </p>

1/5/14

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 15/5/14 को रखे।


15/5/14
अचल अधिकारी
धनबाद।


15/5/14

अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 28/5/14 को रखे।


15/5/14
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
28/6/20 को रखे।



15/6/20
अचल अधिकारी
धनबाद।


28/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा
बोन/156m गौजा नं० 12 खाता 142 खाल्ट
नं० 62 रकवा 25321 भूमि से संबंधित है। आवंटित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रियाज
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवंटित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कागम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अवल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं सशोधत।


28.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


28.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या- 21/2018 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री जयप्रकाश शर्मा
श्रीमा - लालनंद शर्मा
कोलाहला

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-कोलाहला थाना नं०- 12 खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 63 रकबा- 2 3/4 से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- 51 के पंजी-II भाग 16 के पृष्ठ 3080 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4106

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री जगदह काश राम पि. श्री ल 20 न देव राम

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कौलापुरा-1/21	12	142	63	2 कठ्ठा

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या 1..6..... पृष्ठ सं० 3080.. पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2006/07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा० खा० मु० सं० 19.

(11) 2006/07 के आदेश 113/115 जमाब-दी सं० 332, 333 से आवा

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री कल नारा लनिजा ^{332,33}

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बोधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

332 - m/c No - 56 (11) 79/80 Thaka No 166

333 - m/c No 57 (11) 79/80 Thaka No 166 से आवा

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	2047740	26/6/06	2006/07
02			
03			
04	016993	13/08/15	12-13 to 15-16